

# अपात्र व्यक्तियों ने 31 जनवरी तक नाम वापस नहीं लिए तो सख्त एकशन होगा : सुमित गोदारा

जयपुर। अपात्र और सक्षम व्यक्तियों द्वारा खाद्य सुरक्षा योजना में अनुचित तरीके से लाभ उठाने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। मंत्री गोदारा कि कहा कि गोदारा ने कि गिव अप अपात्र तरीके से लाभ उठाने वालों की कार्रवाई भी की जाएगी। इस योजना का अधिक से अधिक लाभ मिल सके। अभियान का प्रदेशभर में व्यापक असर हो रहा है। हजारों लोग आगे आकर अपात्र नाम खाद्य सुरक्षा योजना से हटा रहे हैं। अपात्र व्यक्तियों को इस योजना के बायर से बाहर निकाले जाने का कार्य विभाग की ओर से लगातार किया जा रहा है। गोदारा ने बताया कि 31 जनवरी तक सक्षम और अपात्र परिवारों को इस योजना से अपना नाम हटा लेना चाहिए। ऐसा नहीं होने पर 31 जनवरी के बाद विभाग की ओर

से सख्त एकशन लिया जाएगा। योजना का अनुचित लाभ लेने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। मंत्री गोदारा कि कहा कि गोदारा ने कि गिव अप अपात्र तरीके से लाभ उठाने वालों की कार्रवाई भी की जाएगी। इस योजना का अधिक से अधिक लाभ मिल सके। इसी उद्देश्य से यह अभियान चलाया जा रहा है। गोदारा ने बताया कि गिव अप अभियान लंबे समय से लाभ रहा है। प्रदेश के लोग आगे आकर इस अभियान में हिस्सा ले रहे हैं। प्रदेशभर में लगभग 7 लाख अपात्र व्यक्तियों के नाम खाद्य सुरक्षा सूची से हटाए गए हैं। ज्यादा से ज्यादा लोगों को इस अभियान से जोड़े जाएंगे। लोग आगे आकर योजना का उद्देश्य खाद्य सुरक्षा योजना का उद्देश्य है।

गोदारा ने बताया कि गिव अप अभियान लंबे समय से लाभ रहा है। प्रदेश के लोग आगे आकर इस अभियान में हिस्सा ले रहे हैं। प्रदेशभर में लगभग 7 लाख अपात्र व्यक्तियों के नाम खाद्य सुरक्षा सूची से हटाए गए हैं। ज्यादा से ज्यादा लोगों को इस अभियान से जोड़े जाएंगे। लोग आगे आकर योजना का उद्देश्य खाद्य सुरक्षा योजना का उद्देश्य है।

&lt;/div